



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27082026-275783
CG-DL-E-27082026-275783

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4530]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 25, 2026/भाद्र 3, 1948

No. 4530]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 25, 2026/BHADRA 3, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2026

सं. 35/2026-27

विषय: गेहूं की निर्यात नीति में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 4715(अ).— समय-समय पर यथा संशोधित, विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 3 के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा आइटीसी (एचएस) निर्यात नीति की अनुसूची 2 के अंतर्गत गेहूं की निर्यात नीति में निम्नलिखित संशोधन करती है:

आईटीसी (एचएस) कोड	विवरण	मौजूदा निर्यात नीति	संशोधित निर्यात नीति
10011900	दुरम व्हीट: -- अन्य	निषिद्ध	मुक्त
10019910	व्हीट	निषिद्ध	मुक्त

2. ऊपर उल्लिखित वस्तुओं/मदों की निर्यात नीति तदनुसार तत्काल प्रभाव से “मुक्त” रहेगी।

इस अधिसूचना का प्रभाव: ऊपर उल्लिखित एचएस कोड के अतर्गत गेहूं की निर्यात नीति को तत्काल प्रभाव से “निषिद्ध” से “मुक्त” में संशोधित किया गया है।

[फा. सं. 01/91/180/032/एएम22/ईसी/पार्ट-ई-31336]

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2026

No. 35/2026-27

Subject: Amendment in the Export Policy of Wheat – regarding.

S.O. 4715(E).— In exercise of powers conferred by Section 5 read with Section 3 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, the Central Government hereby makes the following amendment in the Export Policy of Wheat under Schedule 2 of the ITC (HS) Export Policy:

ITC (HS) Codes	Description	Existing Export policy	Revised Export Policy
10011900	Durum Wheat: -- Other	Prohibited	Free
10019910	Wheat	Prohibited	Free

2. The export policy of the above-mentioned products/items shall accordingly be ‘Free’ with immediate effect.

Effect of this Notification: The export policy of Wheat under the above-mentioned HS Codes is revised from ‘Prohibited’ to ‘Free’ with immediate effect.

[F. No. 01/91/180/032/AM22/EC/Pt-E-31336]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-Officio Additional Secy.